मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28/08/2018

क्र. एफ 16-18/2018/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में आंशिक संशोधन कर कंडिका-22 को विलोपित करते हुए निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जावे:-

(22) **लीज का नवीनीकरण** :- "नियमित उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयां, जिनके द्वारा 30 वर्ष हेतु भूमि आवंटित कराते हुए लीजडीड का निष्पादन किया है। यदि ऐसी इकाईयों द्वारा लीजडीड की अवधि समाप्त होने के पूर्व लीज नवीनीकरण अथवा लीज अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो लीज का नवीनीकरण मान्य करते हुए प्रत्येक नवीनीकरण पर (मूल लीजडीड निष्पादित होने के दिनांक से अधिकतम 99 वर्ष) विकसित भूमि के प्रकरणों में प्रचलित प्रीमियम राशि का दो प्रतिशत तथा अविकसित भूमि के प्रकरणों में असिंचित भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन की राशि का एक प्रतिशत की राशि जमा कराकर, लीज अवधि का नवीनीकरण/लीज अवधि में वृद्धि, आवंटी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। लीज नवीनीकरण पश्चात प्रभावशील लीजरेंट का दस गुना अथवा नवीनीकरण के समय प्रचलित लीजरेंट इनमें से जो भी कम हो, मान्य करते हुए पट्टाभिलेख में संशोधन किया जावे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ क्र. एफ 16-18/2018/ए-ग्यारह

भोपाल दिनांक 28/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग